न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ, जिला धौलपुर

उ अधिकारी – ललित मीना (आर0 ए0 एस0)
ण संख्या–73/2018

1–सरवती पत्नी स्व0 भगवानसिंह 2–जलसिंह पुत्र स्व0 भगवानसिंह 3–बन्टू पुत्र स्व0 भगवानसिंह 4–राजनदेई पुत्री स्व0 भगवानसिंह समस्त जातिगण लोधा निवासीगण घुघरई तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादीगण

वनाम

1–कप्तानसिंह पुत्र पतोली जाति लोधा निवासी घुघरई तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....प्रतिवादी

2–पंजाव नेशनल वैंक शाखा सैपऊ जरिये प्रवन्धक
3–तहसीलदार सैंपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

.....तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा कास्त व स्थाई
निषेधाज्ञा एवं सादेश व्यादेश हेतु आधीन धारा 53, 188 आर.टी.ए.

उपस्थिति – 1– श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट..... (वादिया)

निर्णय **दिनांक 13.04.2022**

संक्षिप्त में उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते विवादित आराजी खसरा नम्बर 75, 223, 237, 245, 248, 253, 282/691, 288/697, 293, 340, 366, 526, 527, 571, 617, 643/711 स्थित वाकेग्राम घुघरई तहसील सैपऊ जिला धौलपुर का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित हुये। उभयपक्ष की सहमति के आधार पर दावा दिनांक 10.07.2019 को दावा वादी प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उनके रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्से/कब्जे अनुसार बाई★मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकार्ड मे दर्ज हिस्सो के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्रांकःराजस्व/2022/188 दिनांक 08.03.2022 विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये। तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी द्वारा ऐहतराज प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत ऐहतराज एवं तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव उभयपक्षीय विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा वकील वादी दौराने बहस ऐहतराज के बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि खसरा नम्बर 366 रकवा 10 विस्वा सम्पूर्ण पर प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं है जो कि सम्पूर्ण प्रतिवादी के हिस्से में रखा गया है अतः आराजी खसरा नम्बर 366 में से आधा हिस्सा वादीगण को दिया जाना चाहिए। प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा जबाब के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 366 में उत्तरदाता/प्रतिवादी ने वाद दायरी से पूर्व वादीगण की सहमति से ही अपने पशुवाडे का निर्माण किया था जिसके प्रति वादीगण के मन में बदनीयती आ चुकी है लेकिन

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

ण के हिस्से में खसरा नम्बर 366 के एवज में उसी रास्ते से लगा हुआ खसरा 293 रकवा 0.0885 हैक्टेयर एवं रास्ते से लगा हुआ खसरा नम्बर 245 रकवा 0.26 हैक्टेयर एवं रास्ता, नहर से लगा हुआ खसरा नम्बर 248 रकवा 0.0253 हैक्टेयर लगाया गया है। अतः वादीगण द्वारा उठाये गये ऐहतराज असत्य एवं काबिल खारिजी के है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव में अंकित किया गया है कि वादी खसरा नम्बर 366 में हिस्सा चाहता है खसरा नम्बर 366 में प्रतिवादीयों के मकान बने हुए हैं। अतः वादीगण को खसरा नम्बर 366 में हिस्सा दिया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम घुघरई तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार वटवारा किया जाता है:—

1—सरवती पत्नी भगवानसिंह, जलसिंह, बन्टू पुत्रान भगवानसिंह, राजनदेई पुत्री भगवानसिंह हि0व0 जाति लोधा सा0 घुघरई खातेदार।

क0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	75	0.1265	नहरी दोयम
2.	245	0.0126	नहरी प्रथम
3.	248	0.0253	नहरी प्रथम
4.	253	0.0759	नहरी प्रथम
5.	293	0.0885	बा.गो.
6.	340	0.0632	बा.गो.
7.	571/2	0.1517	न.दो.
8.	617	0.1012	न.दो.
9.	642/711	0.1265	न.दो.
योग	किता—9	रकवा—0.7714 हैक्टेयर	

2—कप्तानसिंह पुत्र पतोली जाति लोधा सा0 घुघरई खातेदार राहिन पी.एन.वी. शाखा सैपऊ।

क0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	223	0.1391	नहरी दोयम
2.	282/691	0.0885	नहरी दोयम
3.	288/697	0.0885	चा.सो.
4.	366	0.1265	बा.गो.
5.	526	0.0379	न.दो.
6.	527	0.0506	न.दो.
7.	571/1	0.2150	न.दो.

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

797 / 237 0.0126 न.दो.

भाग किता–8 रकवा–0.7587 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान् की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं उभयपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

...लत – उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
...सी –ललित मीना आर0 ए0 एस0
...ण संख्या–73 / 2018

1–सरवती पत्नी स्व0 भगवानसिंह 2–जलसिंह पुत्र स्व0 भगवानसिंह 3–बन्टू पुत्र स्व0 भगवानसिंह 4–राजनदेई पुत्री स्व0 भगवानसिंह समस्त जातिगण लोधा निवासीगण घुघरई तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

......................वादीगण

बनाम

1–कप्तानसिंह पुत्र पतोली जाति लोधा निवासी घुघरई तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

................प्रतिवादी

2–पंजाब नेशनल बैंक शाखा सैपऊ जरिये प्रबन्धक
3–तहसीलदार सैंपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

........................तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा एवं सादेश व्यादेश हेतु आधीन धारा 53, 188 आर.टी.ए.

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ जिला–धौलपुर (राज.)

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ ललित मीना (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री हरिवीरसिंह एडवोकेट एवं मिनजानिव मुद्दायलह श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट को पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा मुताविक विभाजन प्रस्ताव असैम डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम घुघरई तहसील सैपऊ के बाबत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1–सरवती पत्नी भगवानसिंह, जलसिंह, बन्टू पुत्रान भगवानसिंह, राजनदेई पुत्री भगवानसिंह हि0ब0 जाति लोधा सा0 घुघरई खातेदार।

क्0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	75	0.1265	नहरी दोयम
2.	245	0.0126	नहरी प्रथम
3.	248	0.0253	नहरी प्रथम
4.	253	0.0759	नहरी प्रथम
5.	293	0.0885	बा.गो.
6.	340	0.0632	बा.गो.
7.	571 / 2	0.1517	न.दो.
8.	617	0.1012	न.दो.
9.	642 / 711	0.1265	न.दो.
योग	किता–9	रकवा–0.7714 हैक्टेयर	

2–कप्तानसिंह पुत्र पतोली जाति लोधा सा0 घुघरई खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा सैपऊ।

क्0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	223	0.1391	नहरी दोयम
2.	282 / 691	0.0885	नहरी दोयम
3.	288 / 697	0.0885	चा.सो.
4.	366	0.1265	बा.गो.

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

526	0.0379	न.दो.
527	0.0506	न.दो.
571/1	0.2150	न.दो.
797/237	0.0126	न.दो.
योग	किता–8	रकवा–0.7587 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजितं खसरा नम्बरान् की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं उभयपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

वशव्द मेरे एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.04.2022 को जारी की गई।

(ललित मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ